प्रकरण संख्या 8/2018 मोतीलाल बनाम थानिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की खाता संख्या 44 नया 49 पुराना की आराजी नंबर 200, 237, 253, 335/244 एवं 244 कुल किता 5 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डाबरी में स्थित है, जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त साबिक आराजी नंबरों के हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने अवैध रूप से वादीगण की उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर दिया है तथा प्रश्नगत भूमि का बंटवारा कर आराजी नंबर 1406 रकबा 0.38 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1432 रकबा 0.30 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के हिस्से में दर्ज कर दिया एवं आराजी नंबर 1411 रकबा 0.66 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने करीब 3 माह पूर्व वादीगण के साथ झगड़ा फसाद किया तथा कहा कि वादग्रस्त भूमि में हमारा हिस्सा है, तब उक्त अनाधिकृत प्रविष्टि की जानकारी हुई। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01.06.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.03.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने की अपीलान्ट को कोई [illegible] नहीं दी गयी। अपीलान्ट ने जब अपने अधि[illegible] निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा जानकारी [illegible] अविलम्ब अपील [illegible] कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर [illegible]ाद शुमार की जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 8/2018 मोतीलाल बनाम थानिया

में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण जवाब पर निर्धारित होने के बावजूद एकतरफा साक्ष्य लेकर निर्णय पारित कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6 का कोई जवाब नहीं लिया तथा राजस्व कैम्प में अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज करते हुए दोनों पक्षों राजीनामा बताकर निर्णय पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRD 2016-17 (Supp) Page 566, RRT 2002 (1) Page 53, RRD 2017 Page 382 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण जवाब में नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसे बिना सुने निर्णय पारित करते हुए उसके नाम की प्रविष्टि हटाने का आदेश पारित कर डिक्री जारी कर दी, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRD 2016-17 (Supp) Page 566 की रोशनी में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर